



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का

मोनोरेलन व

बीज भवन, पूसा पारे

नई दिल्ली -110 012।

फैक्स- 011- 25846462

दुर्लभ; जक; के। लकजक< जक t-५

फैक्स -01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963PLC003913)

BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX

NEW DELHI-110 012 (INDIA)

Website: www.indiaseeds.com

PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295

e-mail – [nsc@indiaseeds.com](mailto:nsc@indiaseeds.com)

CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH

PHONES: ( 01509-238027, 238296 (Office) Tele – Fax :- 01509-238027

e-mail – [directorcsfsrc@gmail.com](mailto:directorcsfsrc@gmail.com)

क्रमांक :-सर/सुरक्षा/08/2014-15-

दिनांक :-28.10.2014

### निविदा-सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ (राज0) में खण्ड 4 व 5 की चल व अचल सम्पत्ति व फसल सुरक्षा का ठेका देने की अवधि 01.12.2014 से 30.11.2015 तक की निविदा हेतु

| d.010- | [k.M | l.j{kk gr  pdk dk fooj.k                                                                                                                  | /kjk gj jkf'k 'k0nk e:              |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.     | 04   | 39 पीवीएन, 40 पीवीएन, 42, पीवीएन, 43 पीवीएन, 44 पीवीएन, 45 पीवीएन, 46 पीवीएन, रेल्वे गेट, पिघोट की फसलो व चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु | 50,000.00<br>(रु0. पचास हजार मात्र) |
| 2.     | 05   | 47 ए, 47 बी, 49 ए, 49 बी, 51 ए, 51 बी, ग्रीन हाउस, बाग, 48 पीवीएन, 50 पीवीएन, 52 पीवीएन, की फसलो व चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु        | 50,000.00<br>(रु0. पचास हजार मात्र) |

उपरोक्त सुरक्षा ठेके की अवधि 01.12.2014 से 30.11.2015 के लिये निविदाये दिनांक 28.11.2014 को दोपहर 2:30 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो कि उसी दिन दोपहर 3:00 बजे फार्म की गठित समिति द्वारा निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। नियम व शर्तों का विवरण तथा निविदा प्रपत्र (टेण्डर फार्म) किसी भी कार्य दिवस में रु0.500.00 देकर फार्म कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है तथा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, की वेब साइट [www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com) से भी डाउनलोड किया जा सकता है परन्तु डाउनलोड प्रपत्र के साथ निविदा शुल्क रु0. 500.00 व प्रत्येक ठेके के लिये वर्णित निश्चित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट, **National Seeds Corporation Ltd, Sardargarh, payable at Suratgarh** निविदा के साथ जमा करवाने होंगे। तकनीकी व वित्तीय निविदा में कृषि फार्म के सुरक्षा के ठेके का 3 वर्ष का अनुभव (इनकम टैक्स वैलेड), एस.टी.सी. कोड, पेन कार्ड, पार्टी का पंजीकरण, 2 पासपोर्ट फोटो, 10 रुपये के स्टाम्प पर नोटेरी से हल्फनामा व पुलिस विभाग से चरित्र प्रमाण-पत्र देना होगा। सफल निविदादाता को रु0. 200000.00 (रु0. दो लाख मात्र) प्रति खण्ड धरोहर राशि व क्षतिपूर्ति राशि मिलाकर जमा करवाने होंगे। असफल निविदादाता की धरोहर राशि नियमानुसार वापिस लौटा दी जायेगी।

ukV%&;fn fdlh dkj.k ol fnukd 28-11-2014 dk Bdk v|Qy gvk rk iu% Bdk 04-12-2014 dk mijkDr fu;eku|kj gkxkA

l.j{kk vf/kdkjh  
Nr: fun'kd



1. सुरक्षा ठेके की अवधि दिनांक 01.12.2014 से 30.11.2015 तक होगी । इस कार्य हेतु वही ठेकेदार भाग ले सकेंगे जिनके पास कम से कम एक हजार ऐकड कृषि फार्मों की सुरक्षा ठेके का 3 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र हो ।
2. वित्तीय व तकनीकी निविदा के साथ कम से कम 3 वर्ष का अनुभव, इन्कम टैक्स, वेलेड पेन कार्ड, पार्टी का पंजीकरण, एसटीसी कोड, दो पासपोर्ट साइज फोटो, 10 रुपये का स्टैम्प पर नोटेरी से हल्फनामा व पुलिस विभाग से चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा ।
3. निविदादाता द्वारा अपनी निविदा के साथ धरोहर राशि (Earnest Money) रुपये 500000/—(रुपये पचास हजार मात्र) प्रति खण्ड का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो “राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सरदारगढ़” Payble at Suratgarh के पक्ष में देय हो फार्म खजांची के पास जमा करवाना होगा, जो असफल निविदादाताओं को निविदाएं खुलने के बाद वापिस (Refund) कर दिया जायेगा । धरोहर राशि के बिना किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।
4. सफल निविदादाता को प्रत्येक खंड के सुरक्षा ठेके लिए रु. 200000/—(रुपये दो लाख मात्र) प्रति खण्ड प्रतिभूति राशि के रूप में जमा कराने होंगे । सफल निविदादाता द्वारा निविदा के साथ जमा कराई गई धरोहर राशि प्रतिभूति राशि में समायोजित कर दी जायेगी, जो कार्य संतोषजनक रूप से ठेके की अवधि समाप्त होने पर वापिस की जायेगी ।
5. धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि पर फार्म द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
6. सुरक्षा ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि पशुओं द्वारा अवैध/जबरदस्ती नाली पानी को तोड़ना/बन्धे की सुरक्षा व चराई और चोरी इत्यादि से फसल व फार्म की सम्पत्ति को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए । नुकसान होने पर नुकसान की भरपाई ठेकेदार से की जायेगी ।
7. सुरक्षा ठेकेदार को फसल व फार्म की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु विभिन्न चको/पॉइन्टों, जिनकी जानकारी समय-समय पर फार्म के सुरक्षा अधिकारी द्वारा दी जायेगी, पर आवश्यकतानुसार सुरक्षा कर्मी तैनात करने होंगे । सुरक्षा ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा, कि जहाँ भी उसके चौकीदार की ड्यूटी लगाई जाती है वहाँ दूसरा चौकीदार आने पर ही अपने चक/ड्यूटी पॉइन्ट से जायेगा । ठेकेदार के किसी भी चौकीदार या सुपरवाइजर को किसी भी समय सुरक्षा अधिकारी द्वारा बिना कारण बताये हटाया जा सकता है । ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि उसके द्वारा सुरक्षा कार्य पर लगाये गये समस्त चौकीदार तथा सुपरवाइजर इत्यादि अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करे व सुनिश्चित करे वे फार्म अधिकारी अथवा कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमान्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी ।
8. सुरक्षा का ठेका उसी व्यक्ति को दिया जायेगा, जिसका चाल-चलन सही हो व निगम की काली सूची में न हो, ब्लेक लिस्टेड व्यक्ति से सम्बन्धित को भी ठेका नहीं दिया जायेगा, जिससे ब्लेक लिस्टेड व्यक्ति का नाम जुड़ता हो । उदाहरणतः ब्लेक लिस्टेड की पत्नी या बेटा । सुरक्षा ठेकेदार किसी भी फार्म कर्मचारी का रिश्तेदार व सम्बन्धी नहीं होना चाहिये । सुरक्षा ठेकेदार स्वयं व उसके द्वारा लगाये गये गये चौकीदार अथवा सुपरवाइजर फार्म के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी व कार्य कर रहे ठेकेदार से कोई भी झगडा इत्यादि नहीं करेंगे । कोई विवाद होने पर वे इसकी रिपोर्ट फार्म के सुरक्षा अधिकारी को देगे ।
9. कार्य-आदेश जारी होने के पश्चात सुरक्षा ठेकेदार स्वयं भी फार्म से सम्बंधित खण्ड/यूनिट में उपस्थित रहेगा । सुरक्षा ठेकेदार किसी भी दशा में ठेके को किसी भी व्यक्ति अथवा फर्म को किराये पर नहीं देगा अर्थात सब-लेट (Sub-let) नहीं करेगा । ठेकेदार प्रत्येक दिन फार्म के सुरक्षा अधिकारी से मिलकर फार्म की फसलो तथा अन्य सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु उसके द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्था से अवगत करायेगा तथा सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा । यदि उनकी अवहेलना होती है तो उसका ठेका निरस्त कर धरोहर राशि फार्म प्रबन्धन द्वारा जब्त कर ली जायेगी ।
10. सुरक्षा ठेकेदार किसी भी प्रकार के बाहरी विवाद/झगडा, चोरी होने पर उसकी रिपोर्ट स्वयं पुलिस थाने में करेगा । इस प्रकार किसी भी झगडे/विवाद की स्थिति में फार्म कोई भी खर्च वहन नहीं करेगा ।
11. सुरक्षा कार्य के लिए फार्म द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वाहन व अन्य साधन उपलब्ध नहीं कराया जायेगा । ठेकेदार को इन सभी साधनों की व्यवस्था अपने खर्चे पर स्वयं करनी होगी ।
12. सुरक्षा ठेकेदार को ठेके की राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जायेगा । किसी भी प्रकार का टैक्स, जो नियमान्तर्गत देय होगा, ठेकेदार के विल में से काट लिया जायेगा । ठेकेदार को पेनकार्ड नम्बर की एक छायाप्रति लेखा शाखा को देनी होगी ।
13. सुरक्षा ठेकेदार को श्रम कानूनों का पालन करना होगा । स्वयं उसकी तथा उसके द्वारा नियोजित किसी भी सुरक्षाकर्मी/श्रमिक की दुर्घटना की स्थिति में फार्म प्रबन्धन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जो भी वैधानिक प्रावधान लागू होंगे, उनकी अनुपालना की पूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी ।
14. ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व रुपये 100/—(रुपये एक सौ मात्र) के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर उपरोक्त शर्तों को शामिल करते हुए केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ से लिखित अनुबंध करना होगा । अनुबंध हेतु नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं अपने स्तर पर करनी होगी । स्टाम्प पेपर का शुल्क भी ठेकेदार को वहन करना होगा ।
15. यदि ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो एक सप्ताह का नोटिस देकर उसका ठेका निरस्त कर सुरक्षा कार्य किसी भी अन्य व्यक्ति से कराया जा सकता है और उसके द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकती है ।
16. ठेकेदार को फार्म प्रबन्धन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार कार्य करना होगा ।
17. ठेकेदार द्वारा उपरोक्त नियम व शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में ठेका फार्म प्रबन्धन द्वारा निरस्त कर धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी ।
18. सुरक्षा ठेका फार्म निदेशक द्वारा आवश्यकतानुसार ठेके की अवधि घटाई या बढ़ाई जा सकती है ।

19. सफल निविदादाता को हल्फनामा देना होगा, जो कि नोटरी द्वारा तस्दीक किया गया हो, इस आशय का प्रस्तुत करना होगा जिसमें वर्णित हो कि उक्त ठेकेदार को फार्म द्वारा अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा काली सूची अथवा अवांछित सूची में ज्ञापित नहीं किया गया है । अन्यथा उसकी धरोहर राशि/ प्रतिभूति राशि जब्त करके ठेका निरस्त कर दिया जायेगा ।
20. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि फसल कटाई के पश्चात कोई पशु फार्म प्रश्रेत्र में न आए तथा अवांछित चराई न हो, अन्यथा उसके नुकसान की भरपाई ठेकेदार से की जायेगी ।
21. ठेकेदार को संबंधित चक की चल-अचल सम्पत्ति जैसे खड़े पेड़ों एवं अन्य फार्म सम्पत्ति “ जो जहाँ है” के अनुसार रात्रि व दिन में मनुष्यों व जानवरों से सुरक्षा करनी होगी ।
22. ठेकेदार सुरक्षा कार्य में दक्ष सुरक्षाकर्मियों को ही सुरक्षा कार्य में लगायेगा तथा पूर्ण सुरक्षा सामग्री के साथ जैसे-सीटी, लाठी और रात्रि में टॉर्च आदि की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
23. यदि फार्म की किसी भी चल-अचल सम्पत्ति को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी ।
24. ठेकेदार फार्म के लिए किसी प्रकार के अवांछित व्यक्ति कार्य पर नहीं लगायेगा जिसने की फार्म के अहित में कार्य किया हो या सरकार द्वारा अवांछित घोषित किया गया हो या फार्म अधिकारी /कर्मचारी से द्वेष रखता हो ।
25. सुरक्षा कर्मियों का प्रबन्ध स्वयं ठेकेदार को करना होगा, जो सुरक्षाकर्मियों कार्य करेगा उसकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिये । ठेकेदार को ठेके में लगाये जा रहे सुरक्षाकर्मियों के नाम फार्म को देने होंगे ।
26. ठेकेदार द्वारा लगाये गये सुरक्षाकर्मियों के वेतन की जिम्मेवारी स्वयं ठेकेदार की होगी । प्रत्येक ठेकेदार को प्रत्येक बिल पर प्रमाणित करना होगा कि उसके द्वारा लगाये गये मजदूरों का भुगतान कर दिया गया है फार्म इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।
27. ठेकेदार के लिए यह उत्तरदायी होगा कि वह फार्म पर लगाये गये सुरक्षाकर्मियों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अर्न्तगत मजदूरी का भुगतान करेगा तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को पालन करने के लिए जिम्मेवार होगा ।
28. किसी भी संगठन, ट्रेड यूनियन की हडताल या भीड़ द्वारा उत्पात की स्थिति में ठेकेदार अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगा ।
29. यदि कोई सुरक्षा ठेकेदार बीच में कार्य छोड़ता है तो उसकी धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी ।
30. किसी प्रकार का मतभेद या विवाद होने पर मामले को राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के माननीय अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक या उनके द्वारा मनोनित प्रतिनिधि के समक्ष निपटान हेतु पेश किया जायेगा, जिसका फैसला अंतिम होगा व दोनों पक्षों को मान्य होगा, फिर भी विवाद होने पर न्याय हेतु सूरतगढ़ न्यायालय क्षेत्र ही मान्य होगा ।

\_\_\_\_\_

मैंने फार्म में सुरक्षा ठेके की निविदा की नियम व शर्तें पढ़ ली हैं। उक्त सभी शर्तें मुझे मान्य हैं तथा हस्ताक्षर मैंने अपनी रजामन्दी से बिना किसी दबाव के पूर्ण होशोहवास में किये हैं। मेरे द्वारा सभी शर्तें स्वीकार की गई हैं तथा यह शर्तें स्वीकार की गई हैं तथा यह शर्तें केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबन्ध का भाग मानी जायेगी।

सुरक्षा अधिकारी  
कृते निदेशक

निविदादाता के हस्ताक्षर

दिनांक.....

स्थान.....